

प्रेम्ण,

श्री अशोक पांडेजी,
संयुक्त राज्य,
उत्तर प्रदेश भारत ।

तेषां मे,

हयि
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक 2 लखनऊ, उत्तर
प्रदेश विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

कमन्ड: दिनांक: 6 अक्टूबर, 1995

विषय:- महरिशि विद्या मन्दिर, लखनऊ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली
से सम्बन्धित अनुदान प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह पत्रे का निदेश हुआ है कि महरिशि विद्या
मन्दिर लखनऊ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदान विद्ये जाने
में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संकीर्ण सीमाओं का तन्म तन्म पर स्वीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवातित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित हूक से अधिक हूक नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैतिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति फर टि इंडियन स्कूल सर्विसेज इन्वैस्टमेन्ट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की शर्ति से परिषद से सम्बन्ध तथा राज्य सरकार से अनुदान स्था: समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था केधिक सर्व शिक्षापरक कार्यारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कार्यारियों को अनुमन्व वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कार्यारियों की तेषा शर्तें स्थायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त आगतकीय उष्कर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यारियों की अनुमन्व तेषा निर्दिता का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैसा उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैसा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

111 विद्यालय के सम्बन्ध कर्मचारियों को ईपीओएस योजना की परिधि में लिया गया है ।

121 सम्बन्ध कर्मचारियों सहित पुरुष श्रेणी कर्मचारियों को भी पेशन मानकांकन मुक्त तथा बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है ।

131 विन्डू-1 तथा 2 के अतिरिक्त शिथलों के प्रशिक्षण की स्थिति का सत्यापन करते हुए कन्द्रीय उप शिक्षा निदेशक, भारत को रिपोर्ट से एक माह के भीतर उपगत करायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैसा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैसा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या झिंझिका बरतिये जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा भवटीव,

अज्ञोड मंगुली ।
संयुक्त सचिव ।

पुस्तक

111/15-7-1995 तददिनांक

.....

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुधार्थ एवं आख्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, गजनऊ ।
- 2- कन्द्रीय उप शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मन्डल मैनीसाल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीखक, मैनीसाल ।
- 4- निरीखक, जम्मू भारतीय विद्यालय उज्जुण मन्डल ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर इन्दुानी मैनीसाल ।

आजा से,

अज्ञोड मंगुली ।
संयुक्त सचिव ।